राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

1. अपील संख्या – 2577/2011/झुंझुनूं.
2. अपील संख्या – 2578/2011/झुंझुनूं.
3. अपील संख्या – 1585/2012/झुंझुनूं.

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
घट–द्वितीय, वृत–झुन्झुनूं/वृत–चतुर्थ, चिड़ावा. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स प्रशान्त ब्रिक्स उद्योग,
सांतौर (मेघपुर), तहसील बुहाना जिला झुन्झुनूं. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
श्री जे. आर. लोहिया, सदस्य

उपस्थित : :

श्री अनिल पोखरणा,
उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.
श्री वी. सी.सोगानी, अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से.

निर्णय दिनांक : 26/02/2014

निर्णय

ये तीनों अपीलें सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट–द्वितीय, वृत–झुन्झुनूं/घट–चतुर्थ, चिड़ावा (जिन्हें आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, बीकानेर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या क्रमशः 371/आरवेट/झुंझुनूं/09–10 में पारित आदेश दिनांक 10.02.2011; अपील संख्या 134/आरवेट/झुंझुनूं/10–11 में पारित आदेश दिनांक 23.02.2011 एवं अपील संख्या 311/आरवेट/झुंझुनूं/10–11 में पारित आदेश दिनांक 10.01.2012 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गयी हैं। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेशों से कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2006–07 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 13.3.2009; वर्ष 2007–08 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 31.3.2010 एवं वर्ष 2008–09 के लिये पारित किये गये आदेश दिनांक 27.10.2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलों को स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये हैं।

इन तीनों अपीलों में पक्षकार एवं विवादित बिन्दु समान होने से तीनों अपीलों का निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति प्रत्येक पत्रावली पर पृथक–पृथक रखी जा रही है।

लगातार.....2

प्रकरणों के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी ईंटों का निर्माता एवं विक्रेता है। प्रत्यर्थी व्यवहारी ने महिला उद्यमी के रूप में करमुक्ति प्रमाण—पत्र जारी करने हेतु उपायुक्त (प्रशासन) वाणिज्यिक कर बीकानेर के समक्ष प्रस्तुत किये गये प्रार्थना—पत्रों के सम्बन्ध में उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाकर, प्रमाण—पत्र जारी नहीं किये जाने के कारण, कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधियों वर्ष 2006—07 के लिये दिनांक 13.3.2009; वर्ष 2007—08 के लिये दिनांक 31.3.2010 एवं वर्ष 2008—09 के लिये दिनांक 27.10.2010 को कर निर्धारण आदेश पारित करते हुए प्रत्यर्थी द्वारा बिक्रीत ईंटों पर रूपये 50/— प्रति हजार की दर से आउटपुट टैक्स, विलम्ब के लिये ब्याज एवं बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने के आधार पर शास्ति का आरोपण किया गया। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा उक्त आदेश प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर एकतरफा कार्यवाही करते हुए पारित किये गये हैं। प्रत्यर्थी द्वारा उक्त आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी अपीलें, अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों से स्वीकार करते हुए प्रकरण कर निर्धारण आदेश को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये गये कि प्रत्यर्थी व्यवहारी को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के उपरान्त पुनः कर निर्धारण आदेश पारित किये जावें। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेशों से व्यथित होकर अपीलार्थी राजस्व द्वारा ये अपीलें प्रस्तुत की गयी हैं।

उभयपक्ष की बहस सुनी गयी।

अपीलार्थी के विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से किसी के उपस्थित नहीं होने पर कर निर्धारण अधिकारी ने विधि अनुसार प्रत्यर्थी के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही करते हुए, प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत बिक्री विवरण प्रपत्रों के अनुसार कर निर्धारण आदेश पारित किये गये हैं। अग्रिम कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा महिला उद्यमी हेतु जारी करमुक्ति प्रमाण—पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने के कारण दर्शाई गई बिक्री के अनुसार ही करदेयता व ब्याज का आरोपण किया गया है, जिसमें भी कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने बिना किसी आधार के प्रकरणों को कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में विधिक त्रुटि की गयी है। उक्त कथन के साथ विद्वान उप—राजकीय अभिभाषक ने राजस्व की अपीलें स्वीकार किये जाने पर बल दिया।

लगातार.....3

प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा महिला उद्यमी के रूप में करमुक्ति प्रमाण—पत्र प्राप्त करने हेतु समस्त औपचारिकतायें पूर्ण कर आवेदन—पत्र उपायुक्त (प्रशासन) के समक्ष नियत समयावधि में प्रस्तुत कर दिया गया था। इसके बावजूद उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा प्रमाण—पत्र जारी नहीं किया गया, जिसमें प्रत्यर्थी का कोई दोष नहीं था। कर निर्धारण अधिकारी ने भी प्रत्यर्थी को कर निर्धारण हेतु कोई नोटिस जारी नहीं किया एवं प्रत्यर्थी की अनुपस्थिति में एकतरफा कार्यवाही करते हुए कर, ब्याज व शास्ति की मांग कायम कर दी गई। अतः अपीलीय अधिकारी ने प्रकरण कर निर्धारण अधिकारी को प्रतिप्रेषित किये जाने में कोई त्रुटि नहीं की है। विद्वान अभिभाषक ने यह भी कथन किया कि उपायुक्त (प्रशासन) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को करमुक्ति प्रमाण—पत्र दिनांक 6.6.2013 को जारी किया जा चुका है, अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश प्रथम दृष्टया निष्प्रभावी हो जाते हैं। विद्वान अभिभाषक ने उक्त कथन के साथ उपायुक्त (प्रशासन) के करमुक्ति प्रमाण—पत्र दिनांक 6.6.2013 की प्रति प्रस्तुत करते हुए राजस्व की अपीलें अस्वीकार किये जाने पर बल दिया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावलियों का अवलोकन किया गया। प्रकरणों में उपलब्ध रेकॉर्ड से स्पष्ट होता है कि राज्य सरकार की अधिसूचना दिनांक एफ.4(1)एफडी/टैक्स—डिवी./97—111 दिनांक 12.3.97; एफ.4(4)एफडी/टैक्स—डिवी./99—114 दिनांक 26.3.99 एवं एफ.12(20)एफडी/टैक्स/05—185 दिनांक 24.3.2005 के अनुसरण में प्रत्यर्थी व्यवहारी को महिला उद्यमी के रूप में करमुक्ति प्रमाण—पत्र दिनांक 06.06.2013 को जारी किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी को सामान्य व्यवहारी मानते हुए पारित किये किये गये विवादित आदेश प्रथम दृष्टया निष्प्रभावी हो जाते हैं।

प्रकरण की उपरोक्त परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए कर निर्धारण अधिकारी के विवादित (निष्प्रभावी) आदेशों के विरूद्ध प्रस्तुत अपीलें भी निष्प्रभावी हो जाने से राजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अपास्त किये जाने योग्य पायी जाती हैं।

परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व द्वारा प्रस्तुत तीनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।

निर्णय सुनाया गया।

(जे. आर. लोहिया)
सदस्य
26/02/14